

कार्यालय संचालक

संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक-2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Telephone-0771-2511974, email-dirfood.cg@nic.in, website-www.khadya.cg.nic.in)

क्रमांक
प्रति,

०४ / वि.स. / 2026

नवा रायपुर, दिनांक ३० / ८ / 2026

सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर. विभाग,

महानदी भवन मंत्रालय, नवा रायपुर

विषय—

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 867 अतारांकित द्वारा श्रीमती यशोदा निलाम्बरा वर्मा, सदस्य विधानसभा हस्तांतरण कराने के संबंध में।

कृपया विषयांतर्गत विधानसभा प्रश्न क्रमांक 867 अतारांकित द्वारा श्रीमती यशोदा निलाम्बरा वर्मा, सदस्य विधानसभा प्रश्न इस विभाग से संबंधित नहीं है। अतः उपरोक्त प्रश्न खाद्य एवं औषधी प्रशासन विभाग को हस्तांतरित/स्थानांतरित करने का कष्ट करें।

(संचालक द्वारा अनुमोदित)


अपर संचालक

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.

संचालनालय, नवा रायपुर

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : 10/07/2026

वर्ग : 5 सदन में उत्तर देने का दिनांक : 17/07/2026 विभाग का नाम : खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण
विषय : जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में संचालित होटल, पैकेज्ड फूड उद्योगों, का पंजीयन एवं खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन
(अतारांकित प्रश्न क्रमांक : 867) श्रीमतीयशोदा निलाम्बर वर्मा

क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में संचालित छोटे-बड़े होटल, पैकेज्ड फूड उद्योग, रेस्टोरेंट, ढाबा एवं अन्य दुकानों/प्रतिष्ठानों, जहाँ खाने योग्य वस्तुओं का निर्माण, प्रसंस्करण अथवा विक्रय किया जाता है, का पंजीयन एवं खाद्य सुरक्षा मानकों के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है? यदि हाँ, तो वर्तमान में जिले के अंतर्गत विकासखंडवार ऐसे कितने प्रतिष्ठानों का पंजीयन किया गया है? पंजीयन की तिथि, पंजीकृत संस्था/प्रतिष्ठान का नाम, पूर्ण पता, लाइसेंस नंबर, लाइसेंस जारी करने वाले अधिकारी का नाम एवं पदनाम सहित जानकारी प्रदान करें। (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत पंजीयन उपरांत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक के अंतर्गत लाइसेंस कब-कब और किन-किन प्रतिष्ठानों को जारी किए गए? विकासखंडवार जानकारी प्रदान करें। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अंतर्गत स्वच्छता, हाइजीन, लेबलिंग एवं गुणवत्ता संबंधी क्या-क्या अनिवार्य नियम लागू हैं? क्या इन नियमों के पालन हेतु नियमित निरीक्षण किया जाता है? यदि हाँ, तो विगत तीन वर्षों में कितने निरीक्षण किए गए, जानकारी दें। (ग) क्या उपरोक्त खाद्य-पदार्थ निर्माताओं द्वारा व्यावसायिक उपयोग हेतु गैस सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है? यदि हाँ, तो पंजीकृत प्रतिष्ठानों द्वारा उपयोग की जा रही गैस एजेंसीवार पंजीयन की स्थिति एवं संख्या की जानकारी प्रदान करें। (घ) क्या बिना पंजीयन अथवा लाइसेंस के संचालित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध विगत तीन वर्षों में कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो कार्यवाही का जानकारी प्रदान करें।

उत्तर :

खाद्य सुरक्षा
से संबंधित
विभाग की पत

SLC/collector
Khairagarh